उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील वाद सं0 01/18–19

भवेश साह .... अपीलकर्त्ता

बनाम

सरकार (द्वारा प्रा0 पदा0 सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका) .... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

19/03/2021

यह अधिहरण वाद सं0 01/2018–19 भवेश साह बनाम् सरकार (द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका) के बीच प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0 04/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैनें अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरकारी सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन किया।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 04.09.2016 को समय 06:30 बजे अप0 को चोराजोर से कोठिया की ओर आ रही अवैध लकड़ी लोड ट्रेक्टर को गश्ती दल द्वारा मुड़ियार गांव के मोड़ के पास रोकन पर ट्रेक्टर चालक वाहन को छोड़कर चला गया किन्तु उसके पीछे से आ रहा मोटर साईकिल सवार व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर पता चला कि मोटर साईकिल सवार व्यक्ति ट्रेक्टर मालिक (अपीलकर्त्ता) है एवं ट्रेक्टर पर लोड लकड़ी का मालिक भरत शर्मा, ग्राम– ककनी, थाना– सरैयाहाट का है। वाहन पर लदे लकड़ी से संबंधी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर लाल रंग का बिना नम्बर का ट्रेक्टर 1035DIMF चेचिस नं0 847870 एवं ईंजन नं0 S337A20876 एवं उस पर लदे कुल 06 बोटा लकड़ी को

(4)

अवैध रूप से परिवहन करने के कारण धारा 414 भा0द0वि0 एवं धारा 41 एवं 42 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् विधिवत उप्त किया गया। तदोपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 41 एवं 42 का उल्लंघन करने के आरोप में अभियुक्यिों को दोषी पाते हुए सरैयाहाट थाना काण्ड सं0 130/2016 दिनांक 04.09.2019 दर्ज किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक, दुमका के कार्यालय के ज्ञापांक 156 दिनांक 07.02.2017 द्वारा सरैयाहाट काण्ड सं0 130/2016 दिनांक 04.09.2016 द्वारा जप्त वाहन एवं वन सम्पदा (लकड़ी) को राजसात करने का अनुरोध किया गया। अपीलकर्त्ता तथा अन्य से कारण–पृच्छा की मांग की गई। अपीलकर्त्ता एवं अन्य द्वारा कारण–पृच्छा निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने कारण–पृच्छा में स्वीकार किया गया कि ट्रेक्टर चालक ने उसके जानकरी के बिना लकड़ी लोड किया है। अनजाने में वाहन चालक द्वारा भूल की गई है। उनके द्वारा चालक की भूल को वाहन स्वामी होने के नाते स्वीकार किया गया। साथ ही अपीलकर्त्ता (वाहन मालिक) द्वारा लकड़ी परिवहन के क्रम में वैध परिवहन अनुज्ञा–पत्र नहीं होने की गलती को स्वीकार किया गया है। फलतः उल्लेखित ट्रेक्टर तथा उस पर लदे 06 बोटा लकड़ी को वन अपराध में संलिप्त पाये जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 41 एवं 42 के उल्लंघन में एवं इसी अधनियम की धारा 52(3) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिहरण किया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं कागजातों को सही रूप से जांच नहीं किया गया है। प्रश्नगत लोड किया गया लकड़ी शंभू मंडल की जमाबंदी जमींन की है जो दाग सं0 233 पर

अवस्थित था। ट्रेक्टर ड्राइवर द्वारा ट्रेक्टर मालिक के बिना अनुमति के लकड़ी को लोड किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही नहीं है। अतः इसे विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि ट्रेक्टर द्वारा लकड़ी का परिवहन बिना परिवहन अनुज्ञा–पत्र के किया जा रहा था जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 41 एवं 42 का उल्लंघन है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से मैं पाता हुँ कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवदेन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।
19/3/2021

उपायुक्त,
दुमका।
19/3/2021

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.10 14:23:51 +05:30
Location: 169.254.227.244